

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला**  
**जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क्र० 781 / 15  
संस्थापन दिनांक: 27 / 10 / 15  
फाईलिंग नं. 233504000932015

मध्यप्रदेश शासन,  
द्वारा थाना प्रभारी,  
थाना-आमला जिला- बैतूल .....अभियोजन

**विरुद्ध.**

शरीकलाल पिता अर्जुन बसदेवा, उम्र 28 वर्ष  
निवासी-रानीडोंगरी, थाना आमला,  
जिला बैतूल ..... अभियुक्त

**निर्णय**

**(आज दिनांक 26/08/2016 को घोषित।)**

- 1- अभियुक्त के विरुद्ध धारा 34(1)क आबकारी अधिनियम के अंतर्गत आरोप है कि उसने घटना दिनांक 14.10.2015 को समय करीब 04:50 बजे स्थान थाना आमला से 15 किमी. पूर्व ग्राम रानीडोंगरी स्थित अपने रिहायशी मकान के पास अपने आधिपत्य में 10 नग प्लेन देशी शराब रखी।
- 2- प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि अभियुक्त द्वारा धारा 34(1)क आबकारी अधिनियम के तहत अपराध विवरण की विशिष्टियाँ विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर अभियुक्त द्वारा स्वेच्छया पूर्वक अपराध किया जाना स्वीकार किया है।
- 3- अभियोजन का मामला संक्षेप में दिनांक 14.10.2015 को उप निरीक्षक जितेंद्र सिंह गुर्जर को दौराने भ्ररण के ग्राम रानीडोंगरी में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त ने अपने घर के सामने बागड़ के किनारे अवैध शराब बेचने हेतु छिपाकर रखा है जिस पर वह रहागीर साक्षी के मौके पर पहुंचा जहां से अभियुक्त पुलिस को देखकर बागड़ से एक झोला निकालकर घर के पीछे भागा जिसे स्टाफ एवं साक्षियों की मदद से पकड़ा गया जो 16 नग प्लेन देशी शराब के क्वार्टर रखे पाया गया। दस्तावेज तलब करने पर नहीं होना बताये जाने पर अभियुक्त से 16 नग प्लेन देशी शराब जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। थाना वापस आकर उसके विरुद्ध अपराध क्रमांक 558/15 धारा 34(1)क आबकारी अधिनियम के पंजीबद्ध कर मामले की संपूर्ण विवेचना पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।

4— अभियुक्त को धारा 34(1)क आबकारी अधि० के अंतर्गत अपराध विवरण विरचित कर अभियुक्त का सुनाये व समझाये जाने पर उसके द्वारा स्वेच्छयापूर्वक अपराध करना स्वीकार किया गया।

5— प्रकरण में निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न हैं :—

क्या अभियुक्त ने दिनांक 14.10.2015 को समय करीब 04:50 बजे स्थान थाना आमला से 15 किमी. पूर्व ग्राम रानीडोंगरी स्थित अपने रिहायशी मकान के पास अपने आधिपत्य में 10 नग प्लेन देशी शराब रखी ?

**: : विचारणीय प्रश्न का निराकरण : :**

6— अभियुक्त द्वारा स्वेच्छयापूर्वक अपराध किया जाना स्वीकार किया गया, साथ ही अभियोजन की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों को स्वीकार किया गया। अभियोजन की ओर से कोई तात्विक त्रुटि विद्यमान नहीं है। अतः अभियुक्त को अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 34(1)क आबकारी अधिनियम के अंतर्गत दोषसिद्ध पाते हुये 700/— रु० (सात सौ रुपये) के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा दी जाती है। अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड व्यतिक्रम की दशा में पृथक से 15 दिन का सादा कारावास भुगताया जाये।

7— प्रकरण में जप्तशुदा शराब नष्ट हो।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व, मेरे निर्देशन पर टंकित एवं दिनांकित  
कर घोषित किया गया। मुद्रित किया गया।

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)

